स्पीड–पोस्ट
फैक्स/ई–मेल

पत्र संख्या–1/चौ0–90–02/2013 गृ0आ0......4775.........

बिहार सरकार
गृह विभाग
(आरक्षी शाखा)

प्रेषक,

रंजन कुमार सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी
बिहार, ।

पटना, दिनांक 17 जून, 2016

विषय :– **चौकीदार/दफदार के समूह–''घ'' से समूह–''ग'' निम्नवर्गीय लिपिक वर्ग में प्रोन्नति के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विभागीय पत्रांक–359, दिनांक 17.01.1990 द्वारा चौकीदार/दफदार को दिनांक 01.01.1990 के प्रभाव से चतुर्थवर्गीय कर्मचारी घोषित किया गया है ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या–821, दिनांक 23.03.2011 के द्वारा बिहार समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग (भर्त्ती एवं सेवाशर्तो) नियमावली, 2011 अधिसूचित किया गया है । इस नियमावली की कंडिका–5 (1) में प्रावधान है कि निम्नवर्गीय लिपिक का 85 प्रतिशत पद सीधी भर्त्ती से भरा गया है और 15 प्रतिशत पद मैट्रिकुलेशन योग्यताधारी सुपात्र समूह–''घ'' कर्मचारियों में से भरा जायेगा एवं सीधी भर्त्ती के 85 प्रतिशत पदों में से 10 प्रतिशत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेगा । उक्त नियमावली के नियम–8 में प्रावधान है कि नियुक्ति प्राधिकार मैट्रिक उत्तीर्ण समूह–''घ'' कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगा एवं प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या–2937, दिनांक 31.03.2011 की कंडिका–3 (iv) में प्रावधान है कि समूह–''घ'' के वैसे कर्मी जो लिपिक के पर नियुक्ति की अर्हता रखते हैं, उन्हें बिना किसी परीक्षा में वरीयता क्रम में लिपिक संवर्ग में नियुक्त किया जायेगा।

राज्य में चौकीदार संवर्ग की भर्त्ती, सेवाशर्तो एवं प्रोन्नति को विनियमित करने हेतु बिहार चौकीदार संवर्ग नियमावली, 2006 लागू है एवं इस संबंध में बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2014 भी लागू किया गया । उक्त नियमावली में प्रोन्नति के संबंध में प्रावधान है कि समिति की अनुशंसा पर कार्यदक्षता एवं संतोषजनक कार्य–कलाप के आधार पर चौकीदार के पद से दफादार के पद पर प्रोन्नति जिला स्तर पर रिक्तियों के विरूद्ध की जा सकेगी, जो वरीयता–सह–मेधा पर आधारित होगा ।

उक्त नियमों एवं प्रावधानों के आलोक में चौकीदारों/दफादारों को समूह–''घ'' से समूह–''ग'' में निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रोन्नति के संबंध में निर्गत विभागीय पत्रांक–4009, दिनांक 24.05.2013 के क्रम में कहना है कि चौकीदार/दफादार ग्रामीण पुलिस के सदस्य है और इनका कार्य पुलिस/थाना से संबंधित है । इस संवर्ग के पद सोपान में समूह–''ग'' में चौकीदार/दफादार के कर्त्तव्य एवं दायित्व की प्रकृति के पद पर प्रोन्नति हेतु पद की उपलब्धता, उपयुक्तता एवं आवश्यकता के बिन्दु पर अपना मंतव्य भेजने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

सरकार के संयुक्त सचिव